राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांकः 31.07.2014

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित वर्ग के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती में रोस्टर बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने बाबत्।

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.06.2013 के द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित वर्ग के स्थानीय सदस्यों से भरी जाने वाली सीधी भर्ती में रिक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस आरक्षण को लागू किये जाने हेतु आवश्यक रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण कार्मिक विभाग की संलग्न समसंख्यक आज्ञा दिनांक 31.07.2014 के द्वारा किया गया है।

अतः सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कृपया कार्मिक विभाग की संलग्न आज्ञा दिनांक 31.07.2014 की पालना कराने एवं तदनुसार रोस्टर रजिस्टरों का संधारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

इस विभाग के परिपत्र सं. एफ 2(1)कार्मिक/क–2/2014 दिनांक 17.07.14 के अनुसार सभी विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.13 व संलग्न आज्ञानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में लागू उक्त आरक्षण एवं तदनुसार रोस्टर रजिस्टरों के संधारण की प्रक्रिया को पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा। उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी का पूर्ण विवरण आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को भिजवाया जाये, जो कि उक्त वर्णित रोस्टर रजिस्टरों के संधारण की प्रभावी मोनेटरिंग करेंगे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अति0 मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव-I, माननीया मुख्यमंत्री।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

17/2014